न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद-पत्र संख्या :–29 / 2015 दायर दिनांकः 15.04.2015

GCMS NO:- 2015/00168

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी तहसीलदार नैनवां

– वादी

बनाम

1. श्री छोटूलाल वर्मा आईएलआर नैनवां तत्कालीन हाल बून्दी।
2. श्री दामोदर प्रसाद शर्मा पटवारी हाल प0मं0 दुगारी तह0 नैनवां।
3. श्री हीरालाल आ0 गोपाल जाति माली निवासी रजलावता।

––प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 60 एल आर एक्ट एवं 131,136 एल.आर एक्ट 1956

उपस्थितिः–

वादी की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार नैनवां।

प्रतिवादी के अभिभाषक श्री जय सिंह आशावत।

निर्णय दिनांक 26.08.2021

संक्षेप में वाद का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रजलावता में भूमि खसरा संख्या 645 / 1, 645 / 2 रकबा 1 बीघा स्थित है। यह कि उक्त भूमि दिनांक 2.1.89 को आंवटी हीरालाल आ0 गोपाल माली को आवंटित हुई थी। इस भूमि के वर्तमान खातेदार अप्रार्थी संख्या 3 है। यह कि आवंटित भूमि खसरा सं0 645 / 1, 645 / 2 रकबा 1 बीघा भूमि की तरमीम आईएलआर द्वारा की गई है। यह कि उक्त तरमीम आवंटन आदेशों के विपरीत सड़क के किनारे की गई है। उक्त तरमीम आंवटन आदेशों में अंकित कब्जा रिपोर्ट के विपरीत की गई है। यह कि उक्त तरमीम आवंटन आदेश के विपरीत सड़क के समीप होने के कारण निरस्तनीय है। यह तरमीम कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 4(v) च के विरूद्ध है अतः कृपया ग्राम रजलावता की भूमि खसरा सं. 645 / 1, 645 / 2 रकबा 1 बीघा में की गई तरमीम निरस्त करने के आदेश फरमावे। वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दीयां, नकल नक्शा ट्रेस, गिरदावरी की नकल एवं नामान्तकरण पंजिका की फोटोप्रति आदि पेश किये।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु तलब किया गया। आदेशिका दिनांक 27.09.2017 में इस वाद पत्र को प्रार्थना पत्र के रूप में सुने जाने के आदेश दिये गए। अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने जवाब दावा में निवेदन किया कि खसरा संख्या 645 / 1, 645 / 2 रकबा 1 बीघा भूमि वाके ग्राम रजलावता प्रतिवादी हीरालाल को नियमानुसार आवंटित हुई थी। जिसे नियमानुसार आवंटित भूमि पर कब्जा दिया गया था। उक्त तरमीम शुदा भूमि पर प्रतिवादी बहैसियत खातेदार काबिज रहकर उपयोग व उपभोग करते चला आ रहा है। यह कि प्रतिवादी संख्या 3 हीरालाल के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे काश्त की भूमि पर विधिवत रूप से मौके व कब्जे के आधार पर की गई तरमीम को निरस्त करवाने का वादी को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपने जवाब के समर्थन में प्रतिवादी ने शपथ–पत्र, प्रार्थना पत्र वास्ते तरमीम करवाने बाबत की प्रतिलिपी, नकल नक्शा ट्रेस, बयान गवाह आदि पेश किये। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त दावा पेश करते समय वादी द्वारा विभिन्न सीपीसी नियमों की पालना नही की है। आदेश 04 नियम 1 के अनुसार वादी को अपना वाद पत्र नियमानुसार दो प्रतियों में पेश करना आवश्यक है। आदेश 07 नियम 11 ई के अनुसार वादी द्वारा वाद दो प्रतियों में पेश नही किया जाता है तो वाद खारिज किया जायेगा। आदेश 6 नियम 15

संहिता के प्रावधानों के अनुसार वादी ने वाद का सत्यापन नही किया है, जिसरो भी वाद खारिज होने योग्य है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नही किये है, जिसरो वादी का वाद सिद्ध नही होने के कारण खारिज होने योग्य है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधिसम्मत नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ